एम0 देवराज
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग
लखनऊ—226 001
ई—मेल chairmanuppcl@gmail.com
☎ (o) : 0522—2287827

सं0:388/अधि0 नि0(वित्त)/निधि—।। /आय व्यय समीक्षा/389/2019 दिनांक: 05 मार्च, 2021

प्रबन्ध निदेशक,च

वि0वि0नि0लि0, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल एवं केस्को,

लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर।

विषय :— डिस्काम अन्तर्गत वित्तीय अनुशासन लागू कर वित्तीय प्रबन्धन की सुदृढ़, पारदर्शी, प्रभावी एवं उत्तदायी व्यवस्था के सृजन हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या— 1409/अधि0 नि0(वित्त)/निधि—।।/आय व्यय समीक्षा/389/2019 दिनांक 04.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से पूंजीगत एवं राजस्व मदों में डिस्काम एवं स्थानीय स्तर पर कार्य के आंकलन, अनुमोदन, क्रियान्वयन, भुगतान, अनुश्रवण एवं नियन्त्रण के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित कर उक्त का अनुपालन किया जाना निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में यह संज्ञानित हो रहा है कि कही— कही पर उक्त निर्धारित व्यवस्था/प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही नही किये जाने से अनावश्यक देयता उत्पन्न हो रही है एवं कारपोरेशन/डिस्काम्स पर वित्तीय भार पड़ रहा है। अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत कारपोरेशन के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप की तारतम्यता में डिस्काम अन्तर्गत प्रभावी वित्तीय अनुशासन एवं नियंत्रण स्थापित कर पारदर्शी, प्रभावी एवं उत्तदायी व्यवस्था के सृजन हेतु पुनः निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :—

1. डिस्काम अन्तर्गत के बिजनेस प्लान मद में पूंजीगत मद (Capex) के किसी भी नवीन कार्य की स्वीकृति/अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक के स्तर से ही प्रदान किया जायेगा।
2. प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त संदर्भित नवीन पूंजीगत कार्य की स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जबकि उसका डिस्काम के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।
3. नवीन पूंजीगत कार्य की आवश्यकता का सम्यक रूप में वास्तविक आंकलन करते हुए आंकलन के अनुसार कार्य की नितान्त आवश्यकता की स्थिति में ही उक्त कार्य के सम्बन्ध में अग्रेत्तर वांछित स्वीकृति/अनुमोदन की कार्यवाही की जायेगी।
4. किसी भी नवीन कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने अथवा उसे प्रारम्भ किये जाने से पूर्व उक्त की आवश्यकता एवं मद में बजट की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।
5. *डिस्काम अन्तर्गत किसी भी स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अधिकार का यह आशय नही है कि वे उक्त वित्तीय अधिकार की सीमा तक कोई भी नवीन पूंजीगत कार्य स्वीकृत कर दें।*

   उदाहरणार्थ — यदि अधीक्षण अभियन्ता वितरण कार्य के सम्बन्ध में रू0 20.00 लाख तक की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं, तो उनके द्वारा उक्त सीमा तक के किसी भी नवीन कार्य की स्वीकृति मात्र इस आधार पर प्रदान नही कर दी जायेगी, कि उक्त सीमा तक स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत हैं, बल्कि इस सम्बन्ध में यथा प्रस्तावित कार्य का शतप्रतिशत वित्त पोषण सम्बन्धित मद/कार्य के सापेक्ष प्राविधानित बजट की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त उक्तानुसार उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप संदर्भित स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

6. योजनान्तर्गत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा उक्त में सम्मिलित अधिष्ठान व्यय/ओवरहेड व्यय की धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए आमंत्रित की जाय। साथ ही कार्यादेश हेतु इरेक्शन एवं सामग्री को पृथक रखा जाय।

उदाहरणार्थ – किसी पूंजीगत कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) अन्तर्गत कुल योजना लागत में सामग्री एवं कार्य सहित सुपरविजन, कन्टिन्जेन्सी आदि की धनराशि अथवा अधिष्ठान व्यय की 15 प्रतिशत धनराशि भी सम्मिलित होती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उक्त डी0पी0आर0 के अनुसार स्वीकृत योजना लागत के सापेक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि को छोड़कर (क्योंकि कार्यों के अनुश्रवणकर्ता कार्मिकों के वेतन आदि का भुगतान कारपोरेशन/डिस्काम के स्तर से अपने संसाधनो से किया जाता है) मात्र सामग्री एवं कार्य हेतु स्वीकृत लागत की धनराशि के समान मूल्य हेतु ही निविदा आमंत्रित की जाये एवं तदनुसार ही सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश निर्गत कर अनुबन्ध किये जाये।

7. सत्यापित बीजकों के अनुसार देयताओं का भुगतान निधि प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 02 से 03 कार्य दिवसों में भारत/राज्य सरकार की मंशानुरूप डिजिटल माध्यम यथा एन0ई0एफ0टी0/आर0पी0जी0एस0 से सीधे सम्बन्धित कार्यदायी/आपूर्तिकर्ता संस्था के बैंक खाते में ही किया जायेगा। प्राप्त धनराशि का किसी अन्य मद/कार्य में न तो उपयोग किया जायेगा, न ही डिस्काम स्तर पर संरक्षित रखा जायेगा। मात्र क्षतिपूर्ति हेतु अपरिहार्य स्थितियों में किये जाने वाले भुगतान ही अगले उच्च स्तर की स्वीकृति से एन0ई0एफ0टी0/आर0पी0जी0एस0 से इतर अन्य माध्यम यथा चेक द्वारा किये जा सकते है।

8. वित्तीय अनुशासन अत्यन्त आवश्यक है। अतएव उक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था/प्रकिया अथवा निर्गत निर्देशो का अनुपालन न किये जाने की दशा में सभी स्तरों पर सम्बन्धित अधिकारियो का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध सीधे कार्यवाही की जायेगी।

अतः कारपोरेशन मुख्यालय, डिस्काम एवं निचले स्तर के सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(एम0 देवराज)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण/वाणिज्य/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी/वाणिज्य/कार्मिक), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण)/उप मुख्य लेखाधिकारी, प्रदेश के समस्त वितरण क्षेत्र।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।